संख्या– 950/71–2–82/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 07 मार्च, 2018

विषय:– राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/स्नातकोत्तर/पी0जी0 डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0–3/2017/457 दिनांक 22.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0/स्नातकोत्तर/पी0जी0 डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0बी0बी0एस0)/बी0डी0एस0/स्नातकोत्तर/पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेन्ट बाण्ड (प्रारूप संलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:–

क0	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0)	02 वर्ष	रू0 10.00 लाख	महानगरों को छोडकर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में।
2	स्नातकोत्तर (एम0डी0/एम0एस0/एम0डी0एस0/पी0जी0 डिम्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रू0 40.00 लाख (डिग्री हेतु) रू0 20.00 लाख (पी0जी0 डिप्लोमा/एम0डी0एस0 हेतु)	महानगरों को छोडकर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेण्ट अथवा संविदा प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में

3	सुपर स्पेशियलिटी (डी0 एम0 / एम0सी0एच0)	02 वर्ष	रू0 100.00 लाख	राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थानों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा राज्य के जिला अथवा मण्डल चिकित्सालयों में संविदा प्रवक्ता अथवा संविदा सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

2. उक्त बाण्ड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निष्पादित की जायेगीः—

1. बाण्ड से विचलन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की धनराशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रधानाचार्य / निदेशक / कुलसचिव के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा राजकीय कोषागार मे जमा करायी जायेगी।
2. बाण्ड से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की धनराशि जमा नही करता, तो इसकी वसूली भू राजस्व की भांति की जायेगी।
3. ऐसे चिकित्सकों (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 / स्नातकोत्तर डिग्री धारक / पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम / एम0डी0एस0) को वहीं परिलब्धियॉ तथा मासिक मानदेय प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथास्थिति नान पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्ट / सीनियर रेजीडेण्ट अथवा वाक—इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त संविदा चिकित्सकों को किए जाते है।
4. सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों को संविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिलब्धियॉ निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
5. बाण्ड भरे जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थानों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
6. राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित हो जाता है तो तद्नुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम मे बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
7. अभ्यर्थी को आवश्यक मानदेय तथा परिलब्धियों का भुगतान सम्बन्धित विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जहॉ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा, के द्वारा किया जायेगा।

8. प्रस्तावित द्विपक्षीय बाण्ड में द्वितीय पक्ष श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से एग्रीमेण्ट बाण्ड पर हस्ताक्षर करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/मेडिकल कालेज/यूनिवर्सिटी के सक्षम अधिकारी को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।

3– उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपलान सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /71–2–2018–तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
7. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
8. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
9. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
10. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
11. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 (द्वारा महानिदेशक, चि॰ शि॰ एवं प्रशिक्षण उ॰ प्र॰ लखनऊ)।
12. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा महानिदेशक, चि॰ शि॰ एवं प्रशिक्षण, उ॰ प्र॰, लखनऊ)।
13. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 एवं 4।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

लखनऊःदिनांक 10 मार्च, 2018

संख्या–एम0ई0–3/2018/ 409

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
2. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ
3. कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ
5. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
6. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान, नोएडा
7. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा
8. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, आजमगढ, जालौन, सहारनपुर, बाँदा तथा बदाँयू
9. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ, एटा, हाथरस, कासगंज, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ, आजमगढ, बलिया, मऊ, बदाँयू, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बहराईच, बलरामपुर, गोण्डा, श्रावस्ती, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुलतानपुर, अमेठी, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, जालौन, झाँसी, ललितपुर, औरया, इटावा, फरूखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बागपत, बुलन्दशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड, मीरजापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, सम्भल, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, चन्दौली, गाजीपुर, जौनपुर तथा वाराणसी

(के0के0 गुप्ता)
महानिदेशक।

AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO ....COURSE............................SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND (BOND) IS EXECUTED AT ______________________ ON THIS DAY OF ____________________

BETWEEN

NAME: ____

S/O, D/O, W/O ____________________________________

RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS): __________________

(TEMPORARY ADDRESS): ______________________________

MOBILE NO: _______________________________________

E-mail id: ____

AADHAR NO. _______________________________________

hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part

AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government") of the Second Part.

WHEREAS FIRST PARTY has applied for admission to ______________ course and FIRST PARTY has been selected to the said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period not less than one year after successful completion of the ______________ course. If the FIRST PARTY fails to serve the government for a period of one year the FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of Rs________________(Rupees____________only) to Government at the specified Government Treasury. During the above period the FIRST PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their services within a period of three months from the date of successful completion of the ______________ course. In case the Government does not provide services in mentioned period, the BOND shall be released;

AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on successful completion of the ________________ course his/her certificates relating to ______________ course will not be given to the FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serves the

Government for a period of one year or pay to the Government on demand the sum of Rs_____________(Rupees_____________) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period of delay:

AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY____________employed as ______________ granted stipend to him/her for a period of 12 months with effect from ___________ in order to enable his/her to study at ________________________________college.

AND WHERE AS if the FIRST PARTY ______________________works for a period of less than 12 months during the ________________Super specialty course DM/MCH/_______________Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY ___________________________ shall pay back in addition to the security amount of Rs _____________________________ (Rupees ____________________only) the balance amount of stipend to the Government.

This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS:-

1- The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of one year on successful completion of the __________________________ Super speciality course DM/MCH/______Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of one year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs ________________ (Rupees __________________ Only) to the Government in the specified Government Treasury.

2- The FIRST PARTY agrees that till the successful completion of the period of one year service to the Government or till the payment of Rs ____________ Rupees ______________________________________ only is paid the certificates relating to_________________ Super speciality course

DM/MCH/________Post Graduate Degree MD/ MS/ Diploma /MDS / Graduate Degree MBBS / BDS course shall be in the custody of the Concerned Institution / University / College and the Government has a first lien over all the certificates gained by the candidates at the time of addmission.

3- The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/ University/ College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared/ discharged.

4- This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

5- If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by the Government as per applicable law during the period of delay, failing which Government shall have right to recover the aforesaid amount together with interest as arrear of land revenue.

6- The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the date first above mentioned.

For and behalf of
FIRST PARTY

(   )

For and behalf of
Governor

(   )

Witnesses:-